कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024 **दिनांक 07/11/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 06.11.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 06.11.2024 को थाना कोतवाली गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय जे0एम0 7 जनपद गाजीपुर द्वारा जारी एन0बी0डब्लू0/ वारण्टी फौ0मु0 5238/2013 राज्य प्रति कैलाश अन्तर्गत धारा 323,504,506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री लालचन्द्र यादव निवासी लालनपुर मडई थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर तथा एन0बी0डब्लू0/ वारण्टी फौ0मु0 1165/2002 राज्य प्रति दीना अन्तर्गत धारा 323,504,325 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी रामअवध यादव पुत्र बल्लू यादव निवासी लालनपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को उसके घर से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता

1. ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री लालचन्द्र यादव निवासी लालनपुर मडई थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष
2. रामअवध यादव पुत्र बल्लू यादव निवासी लालनपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 52 वर्ष

02. थाना नगसर हाल्ट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 41/2024 धारा 137(2), 65(1) BNS व 3 / 4 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 06.11.2024 को प्र0नि0 राजू दिवाकर मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा 137(2), 65(1) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आमिन उर्फ अमन पुत्र सज्जाक निवासी ग्राम चाऊपुर थाना हरपालपुर जनपद हरदोई को नगसर रेलवे स्टेशन क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

आमिन उर्फ अमन पुत्र सज्जाक निवासी ग्राम चाऊपुर थाना हरपालपुर जनपद हरदोई

आराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 41/2024 धारा 137(2), 65(1) BNS व 3 / 4 पाक्सो एक्ट

03. थाना मरदह पुलिस टीम द्वारा चोरी के 40 लीटर डीजल की बरामदगी करते हुए 01 नफ़र अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बहद् ग्राम करदह कैथवली पर ट्रकों से हो रही डीजल चोरी के सम्बन्ध में निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह यादव व वादी मुकदमा आलोक सिंह पुत्र सीताराम सिंह निवासी शहजादपुर अकबरपुर कोतवाली अकबरपुर अम्बेडकर नगर के सहयोग से एक जरिकेन में 40 लीटर डीजल मय 8 कैन/पीपीया मय पाईप तथा घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ 01 नफर अभियुक्त अक्षय कुमार (वाहन पिकप सं0 UP54 AT7343 के चालक) पुत्र स्व0 लालबिहारी निवासी बहोरनपुर थाना मधुबन जिला मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 213/2024 धारा 303(2),317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1 .अक्षय कुमार पुत्र स्व0 लालबिहारी निवासी बहोरनपुर थाना मधुबन जिला मऊ

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1 .मु0अ0स0 278/2018 धारा 25 आयुद्ध अधि0 थाना मधुबन जनपद मऊ
2 .मु0अ0स0 276/2018 धारा 120बी,307 भादवि थाना मधुबन जनपद मऊ
3 .मु0अ0स0 277/2018 धारा 411,413,414 थाना मधुबन जनपद मऊ
4 .मु0अ0स0 428/2019 धारा 3(1) उ० प्र० गैगेस्टर अधिनियम थाना मधुबन जनपद मऊ
5 .मु0अ0स0 179/2022 धारा 379, 411 भादवि थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
6 .मु0अ0स0 255/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मधुबन जनपद मऊ
7 .मु0अ0स0 213/2024 धारा 303(2),317(2) बी0एन0एस0 थाना मरदह जनपद गाजीपुर

बरामदगी-

01 .एक जरिकेन में 40 लीटर डीजल मय 8 कैन/पीपीया मय पाईप
02 .घटना में प्रयुक्त 01 अदद वाहन पिकप सं0 UP54 AT7343

4.. थाना सैदपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 224/2024 धारा 191(2),191(3),127(2),132,352, 351(3) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व 150,151,152,153,174 भारतीय रेल अधिनियम 1989 में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.10.2024 को माहपुर रेलवे हाल्ट अंतर्गत थाना सैदपुर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर आजाद पार्टी रोहित कुमार बादल पुत्र सन्तलाल बादल ग्राम रामचरनपुर थाना सैदपुर उम्र करीब 25 वर्ष अपने 15- 20 साथियो के साथ आसपास के गांव से प्रलोभन देकर व बहला फुसलाकर अपने साथ 150 से 200 महिलाओं, बच्चो एवं बुजुर्गों के साथ माहपुर हाल्ट को रेलवे स्टेशन बनाये जाने पर रेलवे ट्रैक पर OHE पोल रखते हुए रेलवे ट्रैक जाम कर देना जिसके कारण कृषक ट्रेन (15008) 45 मिनट माहपुर हाल्ट पर रुकी रही व गोरखपुर इण्टरसिटी (15130) औड़िहार स्टेशन पर 24 मिनट विलम्ब हुई। तथा रेल मे यात्रा करने वाले

यात्रियों के जान माल का खतरा उत्पन्न हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 224/2024 धारा 191(2), 191(3), 127(2), 132, 352, 351(3) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व 150, 151, 152, 153, 174 भारतीय रेल अधिनियम 1989 पंजीकृत हुआ।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 06.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक सैदपुर मय हमराहीयान के द्वारा उक्त प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्तगणों को ग्राम ईशोपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसमे विवेचनात्मक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट : संबंधित प्रकरण मे 08 नफर अभियुक्तगणों की पूर्व में गिरफ्तारी व 01 नफर बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया जा चुका है।

<u>नाम पता अभियुक्तगण-</u>

1 . बेचू उर्फ लालमनी बनवासी पुत्र नथनूनी बनवासी निवासीग्राम माहपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष

2. हरिहर चौहान पुत्र विश्वनाथ चौहान निवासीग्राम ईशोपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 55 वर्ष

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर